



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या. 1310/श्री.एफ.एच-1/03/13-14

सेवा में,

श्री पी.एल.शर्मा
नियामी-लॉयर्स कालोनी, आगरा।
आगरा।

दिनांक..... 27-9-15

महोदय/महोदया,

भवन/सूखण्ड संख्या-ब्लॉक नं.109, सजय पर्स, हरौपर्वत वार्ड, आगरा में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शों में दर्शाया गया है निम्नादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

- यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार का स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी भी भाति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह झूठा होने पर कि अनुज्ञा सारथान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्ण व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
- किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर गलियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हों, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप मूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
- ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रत्येक स्वीकृत अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
- यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार छप्रा विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
- अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रामाण्यों का पालन करना होगा।
- भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति नानवित्र

भवदीय

मुख्य नगर निर्वाजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
27/9/15

संख्या.....तद दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनाार्थ।
2. सम्यक्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनाार्थ।
3. मुख्य अग्नि रक्षण अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राधिवानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनाार्थ।

मुख्य नगर निर्वाजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा